न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 40/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2023/45

प्रार्थी

वर्धना फाईनेंस प्राईवेट लि0 पूर्व में मैसर्स थिरूमेंनी फाईनेन्स प्राईवेट लि0 मुख्य कार्यालय नम्बर 5बीसी–110, वरसिद्धि आउटर रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कैयान नगर, बैंगलोर 560043 शाखा कार्यालय संख्या 403–404, 4थ तल, निकट मानसरोवर प्लाजा, मध्यम मार्ग, मानसरोवर, जयपुर 302020

बनाम

अप्रार्थीगण

1. मैसर्स आदर्श विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान इसके अधिकृत हस्ताक्षरी प्रतिनिधित्व पता कार्यालय जसनगर नागौर 341518 अन्य पता चुई चुवा, डेगाना नागौर
2. मैसर्स श्री आदर्श शिक्षण संस्थान इसके अधिकृत हस्ताक्षरी प्रतिनिधित्व पता कार्यालय जसनगर नागौर 341518 अन्य पता चुई चुवा, डेगाना, नागौर
3. श्याम लाल बिदियासर पता जातो का बांस, चुई, चुवा, डेगाना, नागौर 341301
4. सोहन लाल पुत्र अंबा लाल पता शिव मंदिर के पास, जसनगर, मेडता सिटी नागौर 341518
5. श्रीमति अंजु देवी पत्नि मोहन राम पता जाटों का बांस, चुई, चुवा डेगाना नागौर 341301

आदेश **दिनांकः** 18-7-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैक ने अप्रार्थी/ ऋणी को **जरिये ऋण अनुबंध पत्र संख्या S19JOD-JOD-009171 दिनांक 25.09.2019 को रूपये 50,56,050/–(अक्षरे पचास लाख छप्पन हजार पचास रूपये मात्र) का, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U20JOD-JOD-015045 दिनांक 01.10.2020 को रूपये 4,95,000/–(अक्षरे चार लाख पिचानवे हजार रूपये मात्र) का, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-016272 दिनांक 25.02.2021 को रूपये 4,69,603/–(अक्षरे चार लाख उनहत्र हजार छः सौ तीन रूपये मात्र) का, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-018683 दिनांक 30.09.2021 को रूपये 2,47,570/–(अक्षरे दो लाख सैंतालीस हजार पांच सौ सत्तर रूपये मात्र) का** का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति– अचल सम्पति डेगाना, नागौर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 312/1, 21979–905 वर्ग फीट वाली सम्पति के सभी टुकडे और अंश और निम्नानुसार चौहदी : पूर्व में सडक, पश्चिम में बंकटलाल की भूमि, उत्तर में श्याम लाल की भूमि, दक्षिण में पुखराज की भूमि। श्रीमति अंजू देवी के द्वारा निष्पादित टाइटल डीड जमा करवाने का ज्ञापन, पंजीकृत डाक सं. 201901176001760 डिप्टी उप पंजियक कार्यालय सांजू, जिलामनामन के समक्ष,** जो प्रार्थी बैक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेजें निष्पादित किये।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 12.11.2021 को** एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **अनुबंध पत्र संख्या S19JOD-JOD-009171 दिनांक 16.12.2021 को 51,69,565/–(अक्षरे इकावन लाख उनहत्र हजार पांच सौ पैंसठ रूपये मात्र) रूपये, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U20JOD-JOD-015045 दिनांक 16.12.2021 को रूपये 5,14,647/–(अक्षरे पांच लाख चौदह हजार छः सौ सैंतालीस रूपये मात्र) रूपये, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-016272 दिनांक 16.12.2021 को रूपये 5,26,705/–(अक्षरे पांच लाख छब्बीस हजार सात सौ पांच रूपये मात्र) रूपये, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-018683 दिनांक 16.12.2021 को 2,48,432/–(अक्षरे दो लाख अडतालीस हजार चार सौ बत्तीस रूपये मात्र) रूपये इस प्रकार कुल ऋण राशि रूपये 64,59,349/–(अक्षरे चौसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ उनचास रूपये) दिनांक 16.12.2021 तक एंव आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक ने ऋणी/अप्रार्थी को नोटिस दिनांक **21.12.2021** को रजिस्टर्ड दिये गये परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **अनुबंध पत्र संख्या S19JOD-JOD-009171 दिनांक 16.12.2021 को 51,69,565/–(अक्षरे इकावन लाख उनहत्र हजार पांच सौ पैंसठ रूपये मात्र) रूपये, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U20JOD-JOD-015045 दिनांक 16.12.2021 को रूपये 5,14,647/–(अक्षरे पांच लाख चौदह हजार छः सौ सैंतालीस रूपये मात्र) रूपये, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-016272 दिनांक 16.12.2021 को रूपये 5,26,705/–(अक्षरे पांच लाख छब्बीस हजार सात सौ पांच रूपये मात्र) रूपये, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-018683 दिनांक 16.12.2021 को 2,48,432/–(अक्षरे दो लाख अडतालीस हजार चार सौ बत्तीस रूपये मात्र) रूपये इस प्रकार कुल ऋण राशि रूपये 64,59,349/–(अक्षरे चौसठ लाख उनसठ हजार तीन सौ उनचास रूपये) दिनांक 16.12.2021 तक एंव आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि** को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण :– **अचल सम्पति डेगाना, नागौर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 312/1, 21979–905 वर्ग फीट वाली सम्पति के सभी टुकडे और अंश और निम्नानुसार चौहदी : पूर्व में सडक, पश्चिम में बंकटलाल की भूमि, उत्तर में श्याम लाल की भूमि, दक्षिण में पुखराज की भूमि। श्रीमति अंजू देवी के द्वारा निष्पादित टाइटल डीड जमा करवाने का ज्ञापन, पंजीकृत डाक सं. 201901176001760 डिप्टी उप पंजियक कार्यालय सांजू, जिलामनामन के समक्ष,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **जरिये ऋण अनुबंध पत्र संख्या S19JOD-JOD-009171 दिनांक 25.09.2019 को रूपये 50,56,050/–(अक्षरे पचास लाख छप्पन हजार पचास रूपये मात्र) का, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U20JOD-JOD-015045 दिनांक 01.10.2020 को रूपये 4,95,000/–(अक्षरे चार लाख पिचानवे हजार रूपये मात्र) का, ऋण अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-016272 दिनांक 25.02.2021 को रूपये 4,69,603/–(अक्षरे चार लाख उनहत्र हजार छः सौ तीन रूपये मात्र) का, ऋण**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

अनुबंध पत्र संख्या U21JOD-JOD-018683 दिनांक 30.09.2021 को रूपये 2,47,570/–(अक्षरे दो लाख सैंतालीस हजार पांच सौ सत्तर रूपये मात्र) प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति– अचल सम्पति डेगाना, नागौर राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 312/1, 21979–905 वर्ग फीट वाली सम्पति के सभी टुकडे और अंश और निम्नानुसार चौहदी : पूर्व में सडक, पश्चिम में बंकटलाल की भूमि, उत्तर में श्याम लाल की भूमि, दक्षिण में पुखराज की भूमि। श्रीमति अंजू देवी के द्वारा निष्पादित टाइटल डीड जमा करवाने का ज्ञापन, पंजीकृत डाक सं. 201901176001760 डिप्टी उप पंजियक कार्यालय सांजू, जिलामनामन के समक्ष,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर